



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938

No. 46]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2017

सं. एल-7/1/0844(159)—केविआ - केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 91(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 है;
(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- विनियम 5 के पश्चात्, नए विनियम का अंतःस्थापन: विनियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम 5क जोड़ा जाएगा:-

"5क - आयु सीमा: विभिन्न श्रेणियों के लिए वैयक्तिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किए जाने वाले आवेदक की आयु, विज्ञापन वर्ष के 01 जनवरी को, 62 वर्ष से कम होगी:

परंतु यह कि कोई भी परामर्शदाता 65 वर्ष की आयु के बाद आयोग में बना नहीं रहेगा।"

[विज्ञापन-III/4/असा./410/16(150)]

शुभा शर्मा, सचिव

टिप्पण : मूल विनियम को भारत के राजपत्र, (असाधारण) संख्या 160, भाग-III, खण्ड 4 में तारीख 14 अक्टूबर, 2008 को अधिसूचित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th January, 2017

No. L-7/1/0844(159)-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 91(4) read with Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") namely:-

1. Short title and commencement – (1) These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Third Amendment) Regulations, 2017.
(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Insertion of a new Regulation after Regulation 5: After Regulation 5, Regulation 5A shall be added as under:-

*“5A – Age limits: The age of the applicant to be appointed as Individual consultant for different categories as on 1st January of the year of advertisement shall be below 62 years;
Provided that no Consultant would be retained in the Commission after attaining the age of 65 years.”*

[ADVT.-III/4/Exty./410/16(150)]

SHUBHA SARMA, Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary) No. 160, Part III, Section 4 on 14th October, 2008.